



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

विश्वविद्यालय विद्या—परिषद की स्थायी समिति की बुधवार, दिनांक 19.06.2019 को समय

मध्याह्न 12.00 बजे आयोजित बैठक की विषयसूची

01. विद्या—परिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.05.2019 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है) (पृष्ठ 1 से 7 तक)
02. विद्या—परिषद की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 17.05.2019 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।
03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
i	शास. नवीन महाविद्यालय, वटगन, जिला—बलौदाबाजार —भाटापारा	B.Com.-I- All Compulsory Subject B.A.-I. (F.C.—Hindi, English), Political Sc., Geography, Hindi Litt., Economics B.Sc.-I- Bio Group-Chemistry, Botany, Zoology	90 90 90	2018-19	1. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंध संस्थान पं.र.शु.वि. वि. रायपुर 2. डॉ. अब्दुल करी, वाणिज्य विभाग, शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य महावि. महासमुद्र 3. डॉ. मधुलता बारा, साहित्य एवं भाषा अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 4. डॉ. टी.ए.ल. वर्मा, शास. जे.यो. छत्तीसगढ़ महा. रायपुर 5. डॉ. बी.ए.ल. सोनेकर, अर्थशास्त्र अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 6. डॉ. कपिल शर्मा, शास. महाविद्यालय, आरंग 7. डॉ. के.के. साहू जैव प्रौद्योगिकी अ.शा. पं.र.शु.वि.वि. रायपुर
	शासन का आदेश –				

निरीक्षण तिथि – 28.02.2019

आज दिनांक 28.02.2019 को विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 7878/अका./संबद्धता/2019 रायपुर दिनांक 11.01.2019 के संदर्भ में शासकीय यनवीन महाविद्यालय, वटगन जिला—बलौदाबाजार—भाटापारा (छ.ग.) का निरीक्षण गठित समिति के द्वारा किया गया।

1. नवीन महाविद्यालय, शासकीय उच्चतर विद्यालय वटगन में सचालित किया जा रहा है।
2. विद्यालय द्वारा महाविद्यालय के लिए कुल आठ कक्ष आबंटित किए गए हैं। जिसमें छह कक्ष पठन—पाठन के लिए आबंटित हैं।
3. महाविद्यालय में आबंटित सीटें बी.एस—सी. –90, बी.ए—90, बी.काम.—90 के संदर्भ में क्रमशः 90, 90, 31 (कुल 211) छात्र—छात्राएँ वर्तमान सत्र में प्रवेशरत हैं।
4. महाविद्यालय में कुल 275 पुस्तकें, एक कम्प्यूटर के अतिरिक्त 100 छात्र—छात्राओं के लिए फर्नीचर उपलब्ध है।
5. महाविद्यालय में प्राचार्य का प्रभार शासकीय दाऊ कल्याण सिंह स्नात. महा. बलौदाबाजार एवं एक नियमित शिक्षक अर्थशास्त्र विषय तथा एक नियमित लिपिक पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त आठ अतिथि शिक्षक पठन—पाठन का कार्य कर रहे हैं।
6. महाविद्यालय के लिए भूमि का आबंटन हो चुका है। 12.253 हे. क्षेत्र उपलब्ध है।
7. महाविद्यालय में प्रयोगशाला स्कूल में संचालित हैं। इसके अतिरिक्त नियमित शिक्षक, फर्नीचर, पुस्तकें आदि क्रय करने की आवश्यकता है।
8. शासन द्वारा आगामी सत्र के लिए छात्र संख्या दुगुनी होने के अनुपात में स्वीकृत पदों पर नियुक्ति की जाने की आवश्यकता है।
9. महाविद्यालय में अन्य गतिविधियाँ जैसे खेल—कूद एवं समुचित ग्रंथालय की आवश्यकता है।

ii	<p>शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर</p> <p>शासन का आदेश क्र. एफ 1-37/2017/ 38-1 दिनांक 14.08.2017</p>	M.A. Final (III & IV Sem.)	25	2019-20	<p>1. डॉ. डी.के. द्विवेदी, शास. डी.एस.की. संस्कृत महा. रायपुर</p> <p>2. डॉ. संध्या सिंगारे, शास. पं. श्यामाचरण शुक्ल महाविद्यालय, धरसीवां</p>	
निरीक्षण तिथि – 25.05.2019						
<ol style="list-style-type: none"> महाविद्यालय का स्वयं के भवन में संचालित है। महाविद्यालय भवन मानदंड के अनुरूप कक्षों की उपलब्धता है। प्रस्तावित पाठ्यक्रम के चारों सेमेस्टर के लिए एक प्राध्यापक एवं तीन सहा. प्राध्यापकों की आवश्यकता होगी। वर्तमान में एक प्राध्यापक का पद स्वीकृत है। वर्तमान में लोकप्रशासन विषय में लगभग 250 पुस्तकें उपलब्ध हैं। चारों सेमेस्टर के विष्य के लिए लगभग 300 पुस्तकों की आवश्यकता होगी। महाविद्यालय में उपलब्ध सुविधायें – <ol style="list-style-type: none"> प्रेक्षागृह छात्रावास कैन्टीन इनडोर गेम ध्यान योग केन्द्र बहुदरेशीय काम्पलेक्स रेम्प आउटडोर मैदान प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की सम्बद्धता महाविद्यालय को प्राप्त हो चुकी है। पिछली समिति के दिए गए सुझावों पर प्रयास जारी है। IIPA की सदस्यता (Membership) अनिवार्य रूप से लेना। 						
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य	
iii	<p>विप्र कला, वाणिज्य एवं शारीरिक शिक्षा महा. आमापारा जी.ई. रोड, रायपुर</p> <p>शासन का आदेश क्र. 2031/119/ आउशि/अ.शै.प्र./2019 दिनांक 25.04.2019</p>	B.P.E. -III	100	2018-19	<ol style="list-style-type: none"> डॉ. (श्रीमती) रीता वेणुगोपाल, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर डॉ. सी.डी. अगाशे, आचार्य, शारीरिक शिक्षा अध्ययनशाला, पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 	
निरीक्षण तिथि – 01.06.2019						
<ol style="list-style-type: none"> Infrastructure is sufficient for B.P.E. III year. More faculty (Teachers) are reprieved for 100 seats. 						

04. श्री बी. गोपाल कृष्णा, श्री गजेन्द्र सिंह राठौर, शोध आवेदक, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं कु. पूजाश्री प्रसाद शोध आवेदिका बायोसाइंस के प्रकरण पर विचार करना।

टीप : श्री बी. गोपाल कृष्णा, भौतिकी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं तथा इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में शोध कार्य (पी-एच.डी.) हेतु प्रवेश परीक्षा में सफल होने के पश्चात् शोध केन्द्र में प्रवेश लेकर कोर्स वर्क पूर्ण कर चुके हैं।

श्री गजेन्द्र सिंह राठौर, का इलेक्ट्रॉनिक्स विषय में शोध केन्द्र में प्रवेश तथा कोर्स वर्क में उपरिथिति के संबंध में विचार करना।

कु. पूजाश्री प्रसाद, माइक्रोबायोलॉजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि धारक हैं तथा शोध केन्द्र में प्रवेश लेकर बायोसाइंस विषय में पी-एच.डी. हेतु कोर्स वर्क पूर्ण कर चुके हैं।

अध्यादेश क्र.-45 की कंडिका 7 का प्रावधान “A candidate shall ordinarily be permitted to work for Ph.D. degree in the subject in which he/she has obtained his/her post-graduate degree.

Provided that research work leading to Ph.D. degree may be encouraged in allied subjects of interdisciplinary nature of the same faculty or of allied faculties. In such cases the candidate may also be permitted to work under one or two co-supervisors, along with the supervisor of the University.” (संलग्न है) प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

05. सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका—नेवरा, जिला—रायपुर के स्थायी सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार करना।

टीप : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सत्यनारायण अग्रवाल शास. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय कोहका—नेवरा, जिला—रायपुर को एम.एस. अर्थशास्त्र सत्र 2018—19 से स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में निर्णय लिया गया था कि – “स्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने के पूर्व महाविद्यालय में सेट—अप एवं नियुक्तियों का विस्तृत विवरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जाए।”

महाविद्यालय के पत्र क्रमांक 116 /स्था/ 2019—20 दिनांक 29.05.2019 के द्वारा एम.ए. अर्थशास्त्र की स्थायी सम्बद्धता हेतु सेटअप की प्रति संलग्न किया गया है। विचारार्थ प्रस्तुत।

06. शोध छात्रवृत्ति अवधि वृद्धि हेतु उपलब्ध नियम में शब्द **in exception case** की व्याख्या के संबंध में विचार करना।
(पृष्ठ से तक)

टीप : वित्तीय वर्ष 2018—19 में विश्वविद्यालय शोध छात्रवृत्ति धारक शोधार्थीयों द्वारा शोध छात्रवृत्ति अवधि में एक वर्ष वृद्धि पश्चात् पुनरः छ: माह की वृद्धि हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदक एक ही शोध निर्देशक के निर्देशक में शोध कार्य संपादित कर रहे हैं। शोध छात्रवृत्ति अवधि हेतु नियम निम्नानुसार है :—

The duration of the award will be for a period of the two years, Subject to satisfactory progress of research work. The Kulpati may extend the duration of the award by one year on the recommendation of the supervisor provided that the application for extension of one year's time award. The scholarship is submitted to the University at least 30 days before the expiry of the original tenure of fellowship. **In exception case**, the award may on the recommendation of the supervisor, be extended for another six month.

उपरोक्त नियम में **In exception case** की व्याख्या नहीं होने से स्पष्ट नहीं है कि **exception case** का निर्धारण कैसे हो। शोध छात्रवृत्ति अवधि वृद्धि हेतु प्राप्त दो आवेदन (माग्रेट मिस्सेज सिंह, एवं शिखा मल्लिक) के आवेदन पर विचार करना।

07. अमेरिकन हाइस्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम (**Grade 12/12th Class/Senior Secondary**) उत्तीर्ण परीक्षार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रदान की गई अनुमति एवं परीक्षा को मान्यता प्रदान किए जाने हेतु प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।
(पृष्ठ से तक)

टीप : श्री बलवन सिंह, NWAC, USA Regional Office, 309-310, 3rd Floor, RG Trade Tower, Netaji Subhash Place, Pitampura, New Delhi - 110034 का पत्र NWAC/Recognition/1606, दिनांक 20.04.2019 के द्वारा अमेरिकन हाइस्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम (**Grade 12/12th Class/Senior Secondary**) उत्तीर्ण परीक्षार्थी को स्नातक में प्रवेश हेतु मान्य किया गया है।

अमेरिकन हाइस्कूल डिप्लोमा प्रोग्राम (**Grade 12/12th Class/Senior Secondary**) उत्तीर्ण परीक्षार्थी को स्नातक प्रथम वर्ष में प्रदान की गई अनुमति एवं परीक्षा को मान्यता प्रदान के संबंध में प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

08. बी.बी.ए. चतुर्थ सेमेस्टर में ATKT प्राप्त छात्र/छात्राओं को को पंचम एवं षष्ठम सेमेस्टर में सम्मिलित करने पर विचार करना।

टीप : अध्ययन मण्डल में बैठक दिनांक 22.05.2019 को पद क्रमांक 03 पर प्रस्तावित किया है कि चतुर्थ सेमेस्टर तक ATKT वाले छात्रों को षष्ठम सेमेस्टर के साथ सम्मिलित करते हुए, उनके षष्ठम सेमेस्टर का परीक्षा परीणाम घोषित नहीं किया जाए, जब तक छात्र अपने पुराने ATKT के प्रश्नपत्र उत्तीर्ण नहीं कर लेते। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

09. श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन धनेली, पो.-माना रायपुर की छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम 2005 के अंतर्गत स्थापित श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, धनेली धमतरी रोड, रायपुर के सम्मिलित करने हेतु अनापत्ति जारी करने के संबंध में विचार करना।

टीप : श्री रावतपुरा सरकार लोक कल्याण ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी का पत्र क्र. SRIGOI/Dhaneli 2019-20/463 दिनांक 27.05.2019 के द्वारा पुनः श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन, धनेली पो.-माना रायपुर को निजी विश्वविद्यालय श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, धनेली रायपुर के अधीन सम्मिलित किये जाने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया है।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति बैठक दिनांक 07.08.2019 में इस प्रकरण पर निर्णय लिया गया था कि – “श्री रावतपुरा सरकार कॉलेज ऑफ एजुकेशन एवं रविशंकर ग्लोबल एजुकेशन, धनेली, पो.-माना, रायपुर को निजी विश्वविद्यालय श्री रावतपुरा सरकार यूनिवर्सिटी, धनेली रायपुर में सम्मिलित होने हेतु अनापत्ति प्रदान नहीं किया जा सकता। महाविद्यालय चाहे तो पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से सम्बद्धता समाप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकता है।”

प्रबंध न्यासी के पत्र दिनांक 27.05.2019 के द्वारा पुनः आवेदन प्रस्तुत करते हुए दिनांक 22 मई 2019 के राजपत्र में जारी अधिसूचना के माध्यम से शिक्षा/अध्यापक प्रशिक्षण को राज्य शासन ने अनुमति प्रदान करने का उल्लेख है तथा स्वामी विवेकानन्द तकनिकी विश्वविद्यालय, भिलाई द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किये जाने का उल्लेख किया गया है। प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

10. सत्र 2018-19 के लिए निम्नलिखित महाविद्यालयों ने वार्षिक सम्बद्धता एवं वृद्धि शुल्क की राशि विश्वविद्यालय कोष में जमा कर दी है। वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत :–

क्र.	शासकीय महाविद्यालय
1.	शास. माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुन्द
2.	शास. नवीन महाविद्यालय, बीरगांव, रायपुर
क्र.	अशासकीय महाविद्यालय
1.	कालिन्दी महाविद्यालय स्वाती एजुकेशन सोसायटी, लालपुर, रायपुर
2.	सी.आई.टी. साइंस एंड कॉमर्स कालेज, ग्राम-भेलवाडीह, अभनपुर, रायपुर
3.	सौ. कुसुम तार्झ दाबके विधि महाविद्यालय, रायपुर

11. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

कूलसचिव